

प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट


परिशिष्ट 'सैंतालीस'
प्रा. शि. ६६-३
प्रश्न सं. [क. ५८१०] ३

परिशिष्ट - "३" [26/3/2018]


अनारक्षित प्रश्न क्र. - 5810

अक्षय टिका अक्षय टिका पचास रुपया २३३३ ५२३३३३३३ ५२३३३३३३३ पन्नास रुपये ०६०००००० पन्नास रुपये पञ्चाशद् रूप्यकाणि

अपरक्राम्य
NOT NEGOTIABLE



डाक महादेशक DIRECTOR GENERAL OF POSTS.



PAY TO लोठ सूचना अधिकारी

₹ 50 पचास रुपए की रकम THE SUM OF RUPEES FIFTY ONLY



AT THE POST OFFICE AT

कमीशन COMMISSION रुपए 5 RUPEES

प्रेषक अपना नाम और पता यहां लिख दे।
SENDER MAY FILL IN HIS NAME AND ADDRESS HERE.

डॉ० गोविंद सिंह

बिष्णुपुर, क्षेत्र महार

के डाकघर में अदा करें।

वैधता - जारी करने के दिने के अतिरिक्त 24 दिने और तिदितिक कमीशन के भुगतान जारी करने के दिने के अतिरिक्त 36 दिने के अतिरिक्त प्रवेसा।
Validity - 24 months from the last day of the month of issue and 36 months from the last date of the month of issue on payment of second commission.
इस लाइन के नीचे मत लिखिए DO NOT WRITE BELOW THIS LINE

डाक टिकट
POSTAGE STAMPS

POSTMASTER

93G 948211



सूचना का
अधिकार

जनसम्पर्क संचालनालय
मध्यप्रदेश शासन

परिशिष्ट - "ब"
अतांकित प्रश्न क्र०-5810

क्रमांक 6130 जससं./प्र.अ./17

भोपाल, दिनांक 7/9/2017

प्रति,

डॉ. गोविन्द सिंह, विधायक लहार,
जिला- भिण्ड,
ई-42/45 बंगले,
भोपाल (म.प्र.)
मो.न. 9425109782

विषय:- सूचना का अधिकार के अंतर्गत प्रथम अपील।

संदर्भ- आपकी प्रथम अपील प्राप्ति दिनांक 29.08.2018 के संबंध में।


.....

अपीलार्थी ने अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की है। अपीलार्थी द्वारा सूचना के अधिकार के अंतर्गत जानकारी चाही गई है।

अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील के साथ जो पचास रुपये का भारतीय पोस्टल आर्डर क्र.93G 948211 संलग्न किया गया है, (छाया प्रति संलग्न है।) उसमें लोक सूचना अधिकारी, म.प्र. माध्यम, अरेरा हिल्स, भोपाल अंकित किया गया है। यह राशि जनसंपर्क विभाग को देय नहीं होगी। इस आशय की जानकारी अपीलार्थी को देते हुए अपील को निरस्त किया जाता है।

मेरे द्वारा दी गई सूचना से संतुष्ट या असहमत हो, तो मुख्य सूचना आयुक्त, मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग, 35- बी सूचना भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल को 90 दिवस की अवधि में 100/- रुपये शुल्क के साथ द्वितीय अपील प्रस्तुत कर सकते हैं।

संलग्न- पो.आ. छायाप्रति।


(सुरेश गुप्ता)
अपीलीय प्राधिकारी